

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

न कुलदीप सिंह आदि बनाम अमनदीप सिंह आदि
 ग संख्या 52, 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTA

नांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
न 29/25	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी स. 20 की तलवी का चेजीकृत डाक सम्मन आदेश तामील प्राप्त। पुनः सही पता अनुस्मार सम्मन, तलवाना पेश हो। पत्रावली वारंते तलवी दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
29/8 25	अधिवक्तागण उपस्थित। शेष अप्रार्थी की तलवी हेतु सम्मन, तलवाना पेश हो। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वारंते तलवी दिनांक 23/09/25 को पेश हो।	
23/9 25	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी स. 20 की तलवी की डिलिवर्ड रिपोर्ट पेश की सोमिल मिसल रहे। अप्रार्थी स. 1, 11, 20, 23, 24 को अक-2 कर 3 बार आवज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स. 1, 11, 20, 23, 24 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वक्तसुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिताजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06/06/24 मूलवाद के निवृत्त तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से कर होकर नया मूलवाद के साथ संलग्न हो।	



सहायक कलक्टर एवं जज
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)